<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 1903

03 जनवरी, 2018 को उत्तर के लिए

सेल में डिप्लोमा इंजीनियर्स के पदों का पुनर्नामनिर्धारण

1903. चौधरी सुखराम सिंह यादवः
श्रीमती छाया वर्माः
श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने 'सेल' में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर्स को कनिष्ठ अभियंता पदनाम देने एवं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की तरह पदोन्नति नीति बनाने हेतु दिशानिर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो यह दिशानिर्देश कब जारी किया गया है और क्या दिशानिर्देश के अनुरूप कार्रवाई संपन्न कर ली गयी है या अभी निर्देशों का पालन लंबित है; और

(ग) इसके लंबित रहने के क्या कारण हैं और मंत्रालय कब तक दिशानिर्देशों के अनुरूप कदम उठाएगा?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क) से (ग): इस्पात मंत्रालय ने अपने दिनांक 01.05.2017 के पत्र द्वारा निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से डिप्लोमाधारियों को उचित तरीके से कनिष्ठ अभियंता पदनाम देने और अन्य सीपीएसई के समान पदोन्नति नीति पर पुनर्विचार करने की सलाह प्रदान की थी। इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

******